

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक- 2088-87/एसओआरआई/डीओउओसओकिओकओयो/दिशा निर्देश/2021-22 दिनांक 24, जुलाई 2021।

1. प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तराखण्ड।

विषय-दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 1295/XIV-1/17/5(19)2010 दिनांक 27.09.2017 को अवक्रमित करते हुए शासनादेश सं० 145/XIV-1/19/5(19)2010 दिनांक 08.02.2019 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सी-136/अभि०/डीओउओसओकिओकओयो/2018-19 दिनांक 11 फरवरी 2019 के द्वारा दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी को रु० 1.00 लाख (रु० एक लाख मात्र) तक का ऋण तथा स्वयं सहायता समूह को रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख मात्र) तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-376/XIV-1/20-5(19)2010 दिनांक 29 जुलाई 2020 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-2802-13/नियो०/डीओउओसओकिओकओयो/2020-21, दिनांक 06 अगस्त 2020 के द्वारा उक्त योजना हेतु रु० 1.00 लाख से रु० 3.00 लाख तक ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराये जाने के दिशा निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में इस कार्यालय के उपरोक्त पत्रांक सी-136/अभि०/डीओउओसओकिओकओयो/2018-19 दिनांक 11 फरवरी 2019 एवं पत्रांक-2802-13/नियो०/डीओउओसओकिओकओयो/2020-21, दिनांक 06 अगस्त 2020 को अवक्रमित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य, लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु रु० 1.00 लाख तथा कृषिवेत्तर कार्य तथा पशुपालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, सगन्ध पादप, मत्ताला उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि-यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पौली-हाउस, आदि कार्य हेतु रु० 3.00 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को रु० 5.00 लाख तक की धनराशि का ब्याजरहित ऋण निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जायेंगे:-

1. यह योजना शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से वितरित ऋणों पर ही प्रभावी होगी।
2. उक्त योजना हेतु आवंटित बजट सीमा के अन्तर्गत ही ऋण वितरित किया जायेगा।
3. इस योजना के अन्तर्गत सामान्य, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा और उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उक्त के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
4. सामान्य, लघु, सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा।
5. उक्त योजनान्तर्गत वितरित होने वाले ब्याजरहित आवकालीन ऋण की अधिकतम सीमा रु० 1.00 लाख व मध्यकालीन ऋण की अधिकतम सीमा रु० 3.00 लाख होगी।
6. उक्त योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह को वितरित ऋण की अधिकतम सीमा रु० 5.00 लाख होगी।
7. सामान्य, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी०पी०एल० परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/घोषित ऐजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।
8. योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों/स्वयं सहायता समूह को नहीं दिया जायेगा।

9. योजना सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों पर ही प्रभावी होगी।
10. योजना से आच्छादित समस्त कृषकों को जिला सहकारी बैंक की निकटतम शाखा में बचत खाता खोला जाना अनिवार्य होगा तथा खाते में आधार सिडिंग करनी होगी जिससे उनको रूपै के 0सी0सी0 कार्ड दिया जा सके जिससे ब्याज अनुदान की धनराशि सीधे उनके खातों में डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना के माध्यम से दिया जा सके।
11. मध्यकालीन ऋण वितरण के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सचिव, बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति/शाखा प्रबन्धक की होगी।
12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत संसूचित फसलों हेतु स्वीकृत किये गये अल्पकालीन कृषि ऋणों का फसल बीमा कराया जाना आवश्यक होगा। ऋणी से किसी भी प्रकार का प्रासंगिक व्यय अथवा प्रक्रिया शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।
13. योजना के अन्तर्गत जिन सामान्य, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्यों द्वारा कृषि कार्य हेतु रु0 01.00 लाख व कृषियेत्तर कार्य हेतु रु0 3.00 लाख तक का ऋण लिया जायेगा, उन्हें ही ब्याज रहित ऋण देय होगा। उक्त योजना में स्वयं सहायता समूहों को रु0 5.00 लाख तक का ही ब्याज रहित ऋण देय होगा।
14. यदि पात्र लाभार्थी को उक्त योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं कर पाता है, तो उस सदस्य को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य दर के अनुसार वसूली की जायेगी।
15. कृषकों द्वारा समय से ऋण अदायगी किये जाने पर ब्याज अनुदान की मांग त्रैमासिक आधार पर सहकारी समिति स्तर से, सहायक विकास अधिकारी (सह0)/शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 तथा जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक/सचिव महाप्रबन्धक के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 को प्रेषित की जायेगी तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी से सूचना संकलित करते हुए निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।
16. कृषकों को कृषि कार्य हेतु रु0 1.00 लाख (रु0 एक लाख मात्र) तक एवं कृषिकर्म एवं सहवर्ती कार्य यथा पशुपालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, सगन्ध पादप, मसाला उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि-यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पौली-हाउस, आदि कार्य के साथ ही कृषि प्रसंस्करण (Agro Processing) से सम्बन्धित कार्यकलापों हेतु रु0 3.00 लाख (रु0 तीन लाख मात्र) तक एवं स्वयं सहायता समूहों को रु0 5.00 लाख (रु0 पाँच लाख मात्र) तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
17. बैंक/समिति द्वारा मध्यकालीन ऋण वितरण करने के पश्चात क्रय किये गये पशुओं का ऋण अवधि के लिये बीमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
18. स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराये जाने से पूर्व निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-
 - i. योजना के अन्तर्गत लाभान्वित स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित योजना से आच्छादित क्रिया कलापों हेतु पंजीकृत हो।
 - ii. योजना का लाभ ऐसे स्वयं सहायता समूह को दिया जाये, जिनके द्वारा पूर्व में कृषि/कृषिकर्म या सहवर्ती कार्य अथवा कृषि प्रसंस्करण से सम्बन्धित कार्य-कलाप किये गये हो।
 - iii. स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये, कि ऋण वितरण करने के पश्चात् स्वयं सहायता समूह उस ऋण की ससमय अदायगी करने में सक्षम हो।
 - iv. उक्त योजनान्तर्गत किसी स्वयं सहायता समूह को ब्याजरहित ऋण वितरण किये जाने से पूर्व सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जाये। स्वयं सहायता समूह द्वारा किये जा रहे योजना से सम्बन्धित क्रिया कलाप का पूर्ण विवरण तथा आर्थिकी का आंकलन निश्चित रूप से किया जाये।

- v. उक्त योजना का लाभ ऐसे स्वयं सहायता समूह को दिया जायेगा, जिसका बैंक बचत खाता 06 माह से संचालित हो तथा समूह के पास 06 माह तक का पूर्ण अभिलेख भी हो।
- vi. उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे समूह को लाभान्वित किया जाये, जो समूह के पंचसूत्र का पूर्ण पालन करता हो।
- vii. लाभ प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह द्वारा गतिविधि/क्रियाकलाप का चयन पूर्व में कर लिया गया हो तथा समूह को गतिविधि का आंकलन प्रस्तुत करना होगा।
- viii. जिन स्वयं सहायता समूह को पूर्व में सी0सी0एल0 से लाभान्वित किया गया है तो सम्बन्धित के सी0सी0एल0 के ऋण वापसी की स्थिति व उपयोग का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ix. जिन स्वयं सहायता समूह का सी0सी0एल0 खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में है तो सम्बन्धित का सी0सी0एल0 खाता सहकारी बैंक में स्थानान्तरित कर उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे समूह को लाभान्वित किया जायेगा।
19. लाभार्थियों द्वारा योजना से आच्छादित क्रियाकलापों हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार (अन्य विभागों) में संचालित कृषि एवं कृषि से संबंधित योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभ पर संबंधित लाभार्थी का अंश रू० 1.00 लाख से न्यून होने पर उक्त योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण अनुमन्य किया जायेगा।
20. योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये लाभार्थी/स्वयं सहायता समूह द्वारा किये जा रहे व्यवसाय एवं उनके आर्थिक स्थिति में हुई प्रगति का विवरण जिला सहायक निबन्धक एवं महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
21. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों की त्रैमासिक प्रगति सूचना जनपदवार अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। त्रैमासिक समीक्षा के उपरान्त ही राजकीय अंश की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उक्त योजना के प्रभावी अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

1. लघु कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 5 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 2.50 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हों।
सीमान्त कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 2.50 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 1.25 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हों।
2. बी.पी.एल. परिवार का तात्पर्य उन कृषक सदस्यों से है जिन्हें भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत चयनोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो।
3. राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय को दोगुना किये जाने की योजना के तहत ऋण वितरण हेतु योजना लाभकारी होगी। अतः इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर बैंक शाखाओं/समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जाये व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये।
4. ब्याज रहित ऋण के शासनादेश निर्गत होने की तिथि से सामान्य, लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी.पी.एल. परिवारों तथा स्वयं सहायता समूहों को वितरित अल्पकालीन/मध्यकालीन, कृषि/कृषियेत्तर ऋण का विवरण सामान्य खाते की भांति पृथक से समिति स्तर पर तथा शाखा स्तर पर रखा जाये।
5. उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रतिमाह समिति द्वारा शाखा के माध्यम से बैंक मुख्यालय को तथा सहायक विकास अधिकारी (सह0) के माध्यम से जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों को आगामी माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराई जायेगी।
6. उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों की सूचना जिला सहकारी बैंक मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संकलित सूचना शीर्ष सहकारी बैंक एवं जिला सहायक निबन्धक द्वारा निबन्धक कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर प्रतिमाह उपलब्ध करायी जायेगी, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक द्वारा उक्त सूचना निबन्धक कार्यालय को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

7. दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत सामान्य, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले कृषकों को कृषि कार्यो हेतु रु0 1.00 लाख (रु0 एक लाख मात्र) तक एवं कृषिकर्म एवं सहवर्ती कार्यो यथा पशुपालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, सगन्ध पादप, मसाला उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि-यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पौली-हाउस, आदि कार्यो के साथ ही कृषि प्रसंस्करण (Agro Processing) से सम्बन्धित कार्यकलापों हेतु रु0 3.00 लाख (रु0 तीन लाख मात्र) तक एवं स्वयं सहायता समूहों को रु0 5.00 लाख (रु0 पाँच लाख मात्र) तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्य ब्याज दर एवं उक्त ब्याज दरों के अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति नाबार्ड एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नानुसार की जायेगी-

क्र. सं.	विवरण	प्रचलित ब्याज दर	समय से अदायगी करने वाले कृषकों को भारत सरकार योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान	समय से अदायगी करने वाले कृषकों को राज्य सरकार से वित्तिय भार की वहनता का प्रतिशत	समय से अदायगी करने वाले कृषकों को वहन करने वाला ब्याज भार
1	अल्पकालीन ऋण रु0 1.00 लाख तक	7 प्रतिशत	3 प्रतिशत	4 प्रतिशत	शून्य
2	मध्यकालीन ऋण रु0 1.60 लाख तक	11 प्रतिशत	शून्य	11 प्रतिशत	शून्य
	मध्यकालीन ऋण रु0 1.60 लाख से अधिक - रु0 3.00 लाख तक	11 प्रतिशत	शून्य	9 प्रतिशत	शून्य
3	स्वयं सहायता समूह को ऋण रु0 5.00 लाख तक	11 प्रतिशत	शून्य	11 प्रतिशत	शून्य

नोट- दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत रु0 1.60 लाख से अधिक का मध्यकालीन ऋण सहकारी बैंक शाखाओं के माध्यम से वितरित किया जायेगा, जिसकी बैंक व सदस्य के मध्य ब्याज दर 9.00% रहेगी।

8. योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से कराने का दायित्व जनपद स्तर पर सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक एवं जिला सहायक निबन्धक का होगा।
9. उक्त योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा त्रैमासिक रूप से की जायेगी। यह सुविधा उन्ही कृषकों को दी जानी है जिनके द्वारा लिये गये ऋणों की आदायगी समयान्तर्गत कर दी गयी है। इस प्रकार समितियों/बैंक द्वारा सदस्यों के खाते में वर्तमान में प्रचलित सामान्य दर से ब्याज आंकलित कर प्राप्य अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर समितियों द्वारा सदस्यवार विवरण तैयार कर शाखा प्रबन्धक एवं सहायक विकास अधिकारी (सह0) से सत्यापित कराकर जिला सहायक निबन्धक कार्यालय को प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 5 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा।

जनपद स्तर पर समितिवार सूचना संकलन कर संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 10 तारीख तक जिला सहायक निबन्धक एवं सचिव/महाप्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य सहकारी बैंक के कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। राज्य सहकारी बैंक उक्त प्राप्त सूचनायें जनपदवार संकलित कर 15 तारीख तक निबन्धक कार्यालय को उपलब्ध करायेगें जिससे समयान्तर्गत ब्याज अनुदान शासन से प्राप्त कर कृषकों/स्वयं सहायता समूहों के खातों में स्थानान्तरित किया जा सके।

-: अनुश्रवण :-

1. विकासखण्ड स्तर पर

विकासखण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. अपर जिला सहकारी अधिकारी/सहकारी निरीक्षक, वर्ग-1 | अध्यक्ष |
| 2. सहायक विकास अधिकारी (सह0) | सदस्य |
| 3. शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 | सदस्य/संयोजक |
| 4. प्रबन्ध निदेशक/सचिव पैक्स/लैम्पस (सम्बन्धित समिति) | सदस्य |

विकास खण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत त्वरित गति से पात्र लाभार्थियों का चयन कर ऋण वितरित कराये जायेंगे एवं पात्र लाभार्थियों की संख्या आवंटित लक्ष्य से अधिक होने की दशा में लॉटरी के आधार पर चयन कर पात्रों को ऋण स्वीकृत कराये जायेंगे। विकासखण्ड स्तरीय किसी भी प्रकार की परेशानी एवं शिकायतों का बैठक बुलाकर तत्काल निराकरण किया जायेगा। त्रैमास के पश्चात निर्धारित तिथि को समिति स्तर से ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त कर उनकी जांच करते हुए प्रमाणित कर जिला स्तर पर प्रेषित किये जायेंगे। समय से दावे प्राप्त न होने/लक्ष्य से अधिक ऋण वितरण करने/ऋण वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की पूर्णतया जिम्मेदारी विकासखण्ड स्तरीय कमेटी की होगी। आरम्भ में प्रत्येक 15 दिवस में कमेटी बैठक कर प्रकरणों का निस्तारण करेगी एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला स्तरीय कमेटी को प्रेषित करेगी। प्रतिमाह विकासखण्ड स्तरीय कमेटी प्रत्येक खाते की ऋण वसूली की समीक्षा करेगी तथा जिला स्तरीय कमेटी को वसूली प्रगति से अवगत करायेगी।

2. जिला स्तर पर

जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी (सम्बन्धित जनपद) | अध्यक्ष |
| 2. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों | सदस्य सचिव |
| 3. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 | सदस्य |
| 4. परियोजना से सम्बन्धित रेखीय विभाग | सदस्य |

जिला स्तरीय कमेटी द्वारा योजना का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए ब्याज अनुदान की मांग को राज्य सहकारी बैंक को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रेषित किया जायेगा। जनपद में प्रचार-प्रसार की समस्त जिम्मेदारी जिला स्तरीय कमेटी की होगी। जिला स्तरीय कमेटी उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करते हुए विधान सभावार ऋण मेलों का आयोजन करेंगे। जनपद में किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायतें आने पर तत्काल निराकरण करने का दायित्व जिला स्तरीय कमेटी का होगा। कमेटी प्रत्येक माह एक निश्चित तारीख को बैठक कर प्रकरणों का निस्तारण करेगी तथा त्रैमासिक रूप से प्रगति की रिपोर्ट राज्य स्तरीय कमेटी को प्रेषित करेगी। जिला स्तरीय कमेटी यह भी सुनिश्चित करेगी की अनुदान समानुपातिक आधार पर विकास खण्डवार उपयोग हो सके। योजना के अन्तर्गत जनपद में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा आवंटित अनुदान धनराशि के सापेक्ष अधिक ऋण वितरण करने की पूर्ण जिम्मेदारी जिला सहायक निबन्धक एवं सचिव/महाप्रबन्धक की होगी। प्रतिमाह जिला स्तरीय कमेटी प्रत्येक समिति की ऋण वसूली की समीक्षा करेगी तथा राज्य स्तरीय कमेटी को वसूली प्रगति से अवगत करायेगी।

3. राज्य स्तर पर

राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. निबन्धक, सहकारी समितियों उत्तराखण्ड | अध्यक्ष |
| 2. उप निबन्धक (बैंकिंग), सहकारी समितियों | सदस्य |
| 3. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक लि0 | सदस्य/संयोजक |

राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम शुक्रवार को आहूत की जायेगी, जिससे की त्रैमासिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जा सकें।

—: ब्याज दर :-

दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत सामान्य, लघु एवं सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों तथा स्वयं सहायता समूहों के वितरित ऋणों पर ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	ऋण का प्रकार	बैंक व समिति के मध्य ब्याजदर	समिति व सदस्य के मध्य ब्याज दर
1	अल्पकालीन ऋण	4.75%	7.00%
2	अल्पकालीन बकाया ऋणों पर ब्याज दर	7.00%	10.00%
3	मध्यकालीन ऋण	8.00%	11.00%
4	मध्यकालीन बकाया ऋणों पर ब्याज दर	9.00%	12.00%
5	समितियों द्वारा वितरित स्वयं सहायता समूहों को ऋण	8.00%	11.00% (समिति व स्वयं सहायता समूह के मध्य)

नोट- उपरोक्त तालिका के क्र०सं० 3 में दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत रू० 1.60 लाख से अधिक का मध्यकालीन ऋण सहकारी बैंक शाखाओं के माध्यम से वितरित किया जायेगा, जिसकी बैंक व सदस्य के मध्य ब्याज दर 9.00% रहेगी।

इस योजनान्तर्गत वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों व मध्यकालीन कृषि ऋणों पर किसी भी स्तर पर तावानी ब्याज वसूल नहीं किया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत उपरोक्त निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये जनपदों में पात्र एवं योग्य सदस्यों/स्वयं सहायता समूह को अधिक से अधिक ऋण वितरण कर जनपद को कुल आवंटित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति करवाना सुनिश्चित करें, साथ ही योजनान्तर्गत वितरित ऋण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर पर समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



(वन्दना सिंह)

निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।

पत्रांक 2078-87/दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
3. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, राजपुर रोड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. कार्यालय प्रति।



निबन्धक,

सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।